प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 24.07.2026**

थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 23.07.2026 को वादिनी द्वारा थाना रसूलाबाद पर तहरीर दी गयी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ सोनू राठौर उर्फ मोनू राठौर पुत्र राम किशोर राठौर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गहलू थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात द्वारा दुष्कर्म करना व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देना, के संबंध मे थाना रसूलाबाद मु0अ0सं0 0268/2026 धारा 65(1)/351(3) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम सोनू राठौर उर्फ मोनू राठौर उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) का लोप किया गया व धारा 65(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। जिसमें थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए अभियुक्त सोनू राठौर उर्फ मोनू राठौर को आज दिनांक 24.07.2026 को रामचन्द्र आढ़त के पास गहलू रोड थाना क्षेत्र रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

सोनू राठौर उर्फ मोनू राठौर पुत्र राम किशोर राठौर उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम गहलू थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री राम सिंह
2. हे0का0 612 शैलेन्द्र सिंह
3. हे0का0 476 राजीव कुमार